भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4901

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना

4901. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री सुनील कुमार सिंह:
सुश्री दिया कुमारी:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री राजू बिष्टः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) देश में विशेष रूप से उक्त राज्यों में उत्पादित औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की मात्रा और पिछले पांच वर्षों के दौरान इन राज्यों से निर्यात किए गए औषधीय पौधों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विशेष रूप से उक्त राज्यों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत, परियोजना मोड में मौजूदा सरकारी संस्थाओं में क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) की स्थापना करने का प्रावधान है। आरसीएफसी के मुख्य कार्य विभिन्न राज्यों में उनके क्षेत्र में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से समन्वय करना, औषधीय पादपों के किसानों/समूहों को प्रशिक्षण देना, औषधीय पादपों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) इत्यादि का विकास करना है।

दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में खुले विज्ञापन और चयन के जरिए कुल 7 क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) की पहचान और स्थापना की गई हैं। क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	संगठन से प्राप्त प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1.	पश्चिम बंगाल	जादवपुर विश्वविद्यालय,कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पूर्वी क्षेत्र में आरसीएफसी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसका अनुमोदन किया गया।
2.	झारखंड	सत्येंद्र नारायण सिंह व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड	आरसीएफसी की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया था किंतु अनुमोदित नहीं किया गया।
		वन उत्पादकता संस्थान, आईसीएफआरई, रांची, झारखंड	
3.	राजस्थान	अमेटी विश्वविद्यालय, जयपुर	आरसीएफसी की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया था किंतु अनुमोदित नहीं किया गया।
4.	महाराष्ट्र	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	पश्चिमी क्षेत्र में आरसीएफसी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और अनुमोदन किया गया।
		गौंडवाना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	आरसीएफसी की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया था किंतु अनुमोदन नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश	प्राप्त नहीं हुआ।	-

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। संबंधित राज्य के लिए संस्वीकृत राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार संबंधित राज्य की अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खेती विषयक कार्यकलापों को कार्यान्वित किया गया था।

इसी योजना के अंतर्गत, देश भर में औषधीय पादपों की खेती के लिए 140 प्रजातियों को समर्थन देने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिनके लिए किसानों को खेती की लागत का 30%, 50% और 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की गई थी। अब तक आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक 56,305 हेक्टेयर क्षेत्र का समर्थन किया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): राज्य विशेष से उत्पादित और निर्यातित औषधीय पादपों की मात्रा की सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि विगत पांच वर्षों के दौरान एचएस कोड 1211 के तहत भारत से निर्यात किए गए औषधीय पादपों की मात्रा नीचे दी गई है:

(मूल्य यूएस $ मिलियन में)

एचएस कोड	वस्तु	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1211	सुगंध /औषध /कीट्नाशी अथवा समान प्रयोजनों के लिए कटे/कुचले/बिना कटे/बिना कुचले ताजे/ सूखे/ ठंडे/ जमे हुए बीजों और फलों के साथ पादप अथवा पादपों के हिस्से	**274.07**	**311.18**	**302.52**	**283.52**	**377.63**

स्रोत:-https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/ecomq.asp

(ग): जी हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार "औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना" नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए समर्थन किया जाता है:

(i) जड़ी-बूटी उद्यानों की स्थापना सहित स्व-स्थाने संरक्षण / बाह्य-स्थाने संरक्षण।

(ii) औषधीय पादपों की खेती, विपणन और व्यापार के लिए रोपण सामग्री उगाने के लिए पौधशालाओं की स्थापना सहित संवर्द्धनात्मक कार्यकलाप।

(iii) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/ पंचायतों/ वन पंचायतों/ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से आजीविका संबद्धता।

(iv) प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं/ सेमिनार/ सम्मेलन इत्यादि जैसे सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप।

विगत पांच वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रकाशनों और सम्मेलनों जैसे आईईसी कार्यकलापों के अंतर्गत समर्थित कुल 43 परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजनाओं की वर्षवार संख्या						कुल
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	पश्चिम बंगाल	3	1	2	1	1	1	**9**
2	झारखंड	0	0	0	0	0	0	**0**
3	राजस्थान	2	2	2	2	1	0	**9**
4	महाराष्ट्र	4	3	1	4	2	0	**14**
5	उत्तर प्रदेश	2	2	3	3	0	1	**11**
सकल योग		**11**	**8**	**8**	**10**	**4**	**2**	**43**

पूर्व में, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की थी। एनएएम योजना के 'औषधीय पादप' घटक के अंतर्गत, पहचान किए गए समूहों / क्षेत्रों में 140 प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की बाजारोन्मुख खेती के लिए पश्चिम बंगाल**,** झारखंड**,** राजस्थान**,** महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चयनित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मिशन मोड में समर्थन और कार्यान्वित किया गया था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई थी:

(i) किसान की भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की खेती।

(ii) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने और उसकी आपूर्ति करने के लिए पश्चवर्ती सम्बद्धता के साथ पौधशालाओं की स्थापना।

(iii) अग्रवर्ती सम्बद्धता के साथ फसलोपरांत प्रबंधन।

(iv) प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

अब तक, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत देश के किसानों के बीच औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को फ्लेक्सी घटक के तहत 235 संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / क्रेता-विक्रेता बैठक / खेती पद्धति पर अनुभव दौरों का समर्थन किया है। फ्लेक्सी घटक के अंतर्गत समर्थित कार्यकलापों का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) लागू नहीं।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के तहत औषधीय पादपों की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक समर्थित क्षेत्र।

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	447	1160	897	508	1338	-	**4350**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	142	71	9	44	98	**364**
3	असम	-	261	225	138	-	-	**624**
4	बिहार	-	-	-	-	175	-	**175**
5	छत्तीसगढ़	-	220	72	108	-	-	**400**
6	गोवा	-	23	30	30	30	-	**113**
7	गुजरात	141	192	85	518	-	-	**936**
8	हरियाणा	175	245	-	-	-	-	**420**
9	हिमाचल प्रदेश	39	120	7	-	70	-	**236**
10	जम्मू-कश्मीर	9	34	21	24	28	25	**141**
11	कर्नाटक	529	706	769	469	353	1100	**3926**
12	केरल	258	535	736	410	-	330	**2269**
13	मध्य प्रदेश	1681	2518	2030	1262	790	4270	**12551**
14	महाराष्ट्र	327	-	444	-	520	-	**1290**
15	मणिपुर	142	242	142	60	30	-	**616**
16	मेघालय	-	48	22	-	108	-	**178**
17	मिजोरम	59	27	65	187	6	29	**373**
18	नागालैंड	51	138	250	103	-	210	**752**
19	ओडिशा	-	488	-	378	-	-	**866**
20	पुडुचेरी	-	43	-	2	5	-	**50**
21	पंजाब	-	242	-	16	340	-	**598**
22	राजस्थान	330	1163	1341	519	760	-	**4113**
23	सिक्किम	63	32	84	-	-	58	**237**
24	तमिलनाडु	633	960	673	765	900	-	**3931**
25	तेलंगाना	345	294	457	237	341	-	**1674**
26	त्रिपुरा	45	-	-	211	-	-	**256**
27	उत्तराखंड	153	148	183	110	208	-	**802**
28	उत्तर प्रदेश	3188	1898	1345	3633	-	2236	**12300**
29	पश्चिम बंगाल	107	230	417	261	748	-	**1763**
कुल		**8722**	**12109**	**10366**	**9958**	**6794**	**8356**	**56305**

(-) आशय- राज्य को निधियां जारी नहीं की गईं।

संलग्नक-II

आयुष मंत्रालय की "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक आईईसी कार्यकलापों (संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / क्रेता-विक्रेता बैठकों / अनुभव दौरों) का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र .सं .	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2	1	4	5	-	**12**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	-	-	**1**
3	असम	1	1	-	-	-	**2**
4	बिहार	-	-	-	3	-	**3**
5	छत्तीसगढ़	1	1	4	-	-	**6**
6	गोवा	-	-	-	1	-	**1**
7	गुजरात	-	3	6	-	-	**9**
8	हरियाणा	6	-	-	-	-	**6**
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	3	-	**3**
10	जम्मू-कश्मीर	-	-	1	2	1	**4**
11	कर्नाटक	-	3	1	8	2	**14**
12	केरल	3	2	-	-	-	**5**
13	मध्य प्रदेश	3	13	24	12	12	**64**
14	महाराष्ट्र	-	2	-	-	-	**2**
15	मणिपुर	-	1	2	-	-	**3**
16	मेघालय	-	3	-	1	-	**4**
17	मिजोरम	-	1	5	2	2	**10**
18	नागालैंड	1	-	-	-	-	**1**
19	ओडिशा	-	-	3	-	-	**3**
20	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	**0**
21	पंजाब	2	-	3	5	-	**10**
22	राजस्थान	1	6	7	4	-	**18**
23	सिक्किम	-	-	-	-	1	**1**
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	**0**
25	तेलंगाना	4	2	2	4	-	**12**
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	**0**
27	उत्तराखंड	1	1	-	1	-	**3**
28	उत्तर प्रदेश	-	1	17	-	14	**32**
29	पश्चिम बंगाल	-	2	2	2	-	**6**
सकल योग		**25**	**43**	**82**	**53**	**32**	**235**

टिप्पणी: संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार